मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक / म.प्र.आ.वि.वि. / स्थापना / 2018 / 299 जबलपुर, दिनांक 13 / 02 / 2018

विज्ञापन

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में विभागीय कार्य हेतु मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत विश्वविद्यालयों / शासकीय विभागों में कार्यरत् कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति हेतु एवं मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत विश्वविद्यालयों / शासकीय विभागों के विभिन्न पदों से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों / कर्मचारियों से संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। संविदा नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त आवेदनकर्ता अधिकारी / कर्मचारी की आयु दिनांक 01 / 04 / 2018 को 62 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। पदों का विवरण, आवेदन पत्र एवं अन्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mpmsu.edu.in से डाउनलोड की जा सकती है। संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन के साथ प्रोसेसिंग शुल्क हेतु कुलसचिव, म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के नाम से देय रू. 500 / – का डी.डी. संलग्न करना अनिवार्य है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र मुहरबंद लिफाफे में विश्वविद्यालय में दिनांक 08 / 03 / 2018 शाम 5.30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा अनिवार्यतः प्राप्त हो जाना चाहिए।

कुलसचिव

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,

जबलपुर

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

प्रतिनियुक्ति एवं सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन

सामान्य शर्तें

1. यह विज्ञापन मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में विभागीय कार्य हेतु मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत विश्वविद्यालयों/शासकीय विभागों में कार्यरत् कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति हेतु एवं मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत विश्वविद्यालयों/शासकीय विभागों के विभिन्न पदों से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों/कर्मचारियों से संविदा नियुक्ति हेतु प्रकाशित किया गया है।
   विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	पद का नाम	पद संख्या	ग्रेड–पे	आवेदन हेतु अनिवार्य अर्हता (संविदा नियुक्ति)	आवेदन हेतु अनिवार्य अर्हता (प्रतिनियुक्ति)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
01	उप–कुलसचिव	03	15600–39100+GP 7600	तालिका क्रमांक 3 में अंकित ग्रेड–पे के समकक्ष पद (क्रमोन्नत ग्रेड–पे नहीं) से सेवानिवृत्त अधिकारी	–
02	सहायक कुलसचिव	04	15600–39100+GP 6600	तालिका क्रमांक 3 में अंकित ग्रेड–पे के समकक्ष पद (क्रमोन्नत ग्रेड–पे नहीं) से सेवानिवृत्त अधिकारी	–
03	जन संपर्क अधिकारी	01	15600–39100+GP 5400	तालिका क्रमांक 3 में अंकित ग्रेड–पे के समकक्ष पद (क्रमोन्नत ग्रेड–पे नहीं) से सेवानिवृत्त अधिकारी	–
04	अनुभाग अधिकारी	04	9300–34800+GP 4200	तालिका क्रमांक 3 में अंकित ग्रेड–पे के समकक्ष पद (क्रमोन्नत ग्रेड–पे नहीं) से सेवानिवृत्त अधिकारी	तालिका क्रमांक 3 में अंकित ग्रेड–पे के समकक्ष पद (क्रमोन्नत ग्रेड–पे नहीं) पर कार्यरत् अधिकारी
05	सहायक वर्ग–2	04	5200–20200+GP 2400	तालिका क्रमांक 3 में अंकित ग्रेड–पे के समकक्ष पद (क्रमोन्नत ग्रेड–पे नहीं) से सेवानिवृत्त कर्मचारी	तालिका क्रमांक 3 में अंकित ग्रेड–पे के समकक्ष पद (क्रमोन्नत ग्रेड–पे नहीं) पर कार्यरत् कर्मचारी
06	लेखापाल	02	5200–20200+GP 2400	तालिका क्रमांक 3 में अंकित ग्रेड–पे के समकक्ष पद (क्रमोन्नत ग्रेड–पे नहीं) से सेवानिवृत्त कर्मचारी	तालिका क्रमांक 3 में अंकित ग्रेड–पे के समकक्ष पद (क्रमोन्नत ग्रेड–पे नहीं) पर कार्यरत् कर्मचारी
07	सहायक वर्ग–3 सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	15	5200–20200+GP 1900	तालिका क्रमांक 3 में अंकित ग्रेड–पे के समकक्ष पद (क्रमोन्नत ग्रेड–पे नहीं) से सेवानिवृत्त कर्मचारी	तालिका क्रमांक 3 में अंकित ग्रेड–पे के समकक्ष पद (क्रमोन्नत ग्रेड–पे नहीं) पर कार्यरत् कर्मचारी
08	स्टेनो टायपिस्ट	03	5200–20200+GP 1900 SPL PAY 125	तालिका क्रमांक 3 में अंकित ग्रेड–पे के समकक्ष पद (क्रमोन्नत ग्रेड–पे नहीं) से सेवानिवृत्त कर्मचारी	तालिका क्रमांक 3 में अंकित ग्रेड–पे के समकक्ष पद (क्रमोन्नत ग्रेड–पे नहीं) पर कार्यरत् कर्मचारी

1. संविदा नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए अधिकारी/कर्मचारियों एवं प्रतिनियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।
2. उपरोक्त तालिका में अंकित पद क्रमांक 1, 2 एवं 3 की पूर्ति केवल अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों से संविदा नियुक्ति द्वारा की जायेगी।
3. उपरोक्त तालिका में अंकित पद क्रमांक 4, 5, 6, 7 एवं 8 की पूर्ति सर्वप्रथम प्रतिनियुक्ति से की जायेगी। प्रतिनियुक्ति से इन पदों की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में शेष बचे पदों की पूर्ति अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों से संविदा नियुक्ति द्वारा की जायेगी, जिसमें मध्यप्रदेश शासन के आरक्षण नियम लागू होगें।
4. निर्धारित प्रारूप में एवं स्वच्छ अक्षरों में भरे गए आवेदन पत्र को समस्त संलग्नकों सहित एक लिफाफे में मुहरबंद करके केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा कुलसचिव, म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर–482003 म.प्र. को प्रेषित किया जायेगा। लिफाफे के ऊपर ''प्रतिनियुक्ति एवं सेवानिवृत्त उपरांत संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन – पद का नाम ....'' अनिवार्यतः लिखा जाये।
5. विश्वविद्यालय में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक 08/03/2018 सायं 5.30 बजे तक है। अंतिम तिथि उपरांत प्राप्त हुए आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किये जाएंगे।
6. केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित किये गये आवेदनों को मान्य किया जायेगा। बाई हेन्ड अथवा कुरियर द्वारा प्रेषित आवेदन मान्य नहीं किये जायेगें।
7. अपूर्ण आवेदन/अधूरे भरे हुए आवेदन/चाहे गये दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न नहीं करके भेजे गये आवेदन निरस्त माने जावेंगे।
8. निर्धारित तिथि तक प्राप्त हुए आवेदन पत्रों का विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षण करके अर्ह पाये गये आवेदन पत्रों के अनुसार आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। अर्ह पाये गये आवेदकों की सूची, साक्षात्कार की तिथि एवं स्थान की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mpmsu.edu.in पर प्रदर्शित की जायेगी। समस्त आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने की अंतिम तिथि के उपरांत नियमित रूप से प्रतिदिन विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करें। जो आवेदक नियत तिथि एवं समय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित नहीं होंगे उनके आवेदन निरस्त कर दिये जाएंगे।
9. आवेदक द्वारा नियुक्ति के लिये विश्वविद्यालय के अधिकारियों से किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं किया जायेगा एवं न ही किसी भी प्रकार का दबाव डाला जायेगा अन्यथा ऐसी स्थिति में आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
10. अर्ह आवेदन अधिक संख्या में प्राप्त होने पर पद संख्या के अधिकतम पांच गुना आवेदकों के अच्छे सेवा अभिलेख के आधार पर चयन समिति द्वारा शार्ट लिस्ट किया जायेगा एवं इस सूची में अंकित आवेदकों को साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जायेगा।
11. चयन समिति द्वारा लिये गये साक्षात्कार एवं प्रस्तुत की गई अनुशंसा के आधार पर कुलपति के अनुमोदन उपरांत संविदा नियुक्ति के आदेश कुलसचिव द्वारा जारी किये जाएंगे।
12. किसी भी विवाद की स्थिति में कुलपति म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

- **<u>संविदा नियुक्ति हेतु शर्तें</u>:–**

1. संविदा नियुक्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत विश्वविद्यालयों/शासकीय विभागों के विभिन्न पदों से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए अधिकारी/कर्मचारी आवेदन कर सकते है।
2. संविदा नियुक्ति हेतु इच्छुक कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारूप पर अपने आवेदन के साथ अपने पूर्व के कार्यस्थल विश्वविद्यालय/शासकीय विभाग से प्राप्त जानकारी के निम्नांकित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है (अन्यथा स्थिति में आवेदन निरस्त माना जायेगा):–
   (1). पूर्व के कार्यस्थल विश्वविद्यालय/शासकीय विभाग से परिशिष्ट–अ अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कुलसचिव/शासकीय विभाग के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित जानकारी एवं सेवानिवृत्ति के वर्ष से विगत पांच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की कुलसचिव/शासकीय विभाग के विभाग प्रमुख द्वारा सत्यापित प्रति एवं अग्रेषण पत्र सहित कुलपति म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के नाम से मुहरबंद लिफाफा।

3. क्रमांक – (1) पर अंकित विवरण अनुसार अभिलेख प्राप्त नहीं होने पर आवेदन अमान्य माना जायेगा।
4. अनर्हतायें:–
   (1). संबंधित आवेदक सेवानिवृत्त कर्मचारी की गोपनीय चरित्रावली अभिलेख समग्र रूप से ''बहुत अच्छा'' श्रेणी या उससे उच्च कोटि का नहीं होने पर :
   (2). संबंधित आवेदक की निष्ठा के बारे में उसके सेवाकाल के दौरान किसी भी समय कोई संदेह या आक्षेप किया गया हो और सामान्यतः ईमानदारी और दक्षता के बारे में उसकी ख्याति अच्छी नहीं रही हो,
   (3) सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाए जाने पर या उसके विरूद्ध विभागीय जांच/अभियोजन लंबित होने पर,
   (4) पिछले 10 वर्षों के दौरान संबंधित आवेदक को कोई दण्ड दिया गया हो,
   (5) उसका स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में नहीं होने पर।

5. आरक्षण:–

   संविदा नियुक्ति के पदों पर मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) एवं उसके अधीन समय–समय पर जारी नियम/निर्देश लागू होंगे, साथ ही महिला एवं निःशक्तजन आदि के आरक्षण के लिए भी समय–समय पर जारी नियम/निर्देश लागू होंगे।

6. नियुक्ति की अवधि:–
   (1). आवेदक सेवानिवृत्त कर्मचारी की संविदा नियुक्ति प्रथम बार एक वर्ष से अनधिक अवधि हेतु होगी किन्तु विश्वविद्यालय आवश्यकता के आधार पर संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा नियुक्ति की अवधि को एक बार में अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाते हुए संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगा।
   (2). संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
   (3). संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।

7. संविदा वेतन एवं अन्य सुविधाएंः–

(1). आवेदक के संबंध में सेवानिवृत्ति के समय, वेतन संरचना (यथासंशोधित वेतनमान) में देय मूल वेतन एवं देय महंगाई भत्ते में से देय पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की) एवं उस पर देय महंगाई राहत घटाने के पश्चात् भुगतान योग्य एकमुश्त राशि, संविदा वेतन होगा एवं इसके अतिरिक्त वह सेवानिवृत्ति के समय देय मूल वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता (यदि शासकीय आवास गृह धारण नहीं करता है) एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ते का हकदार होगा तथा पेंशन एवं पेंशन पर महंगाई राहत का भी हकदार होगा।

8. अवकाश की पात्रताः–

संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को अस्थाई शासकीय सेवकों के समान अवकाश की पात्रता होगी।

9. यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधायेंः–

(1). संबंधित पद हेतु देय यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के पात्र होगें।

10. (1). संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।

(2). संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी साथ ही वार्षिक वेतनवृद्धि भी देय नहीं होगी।

(3). आवेदक का गोपनीय प्रतिवेदन/पीएआर (परफारमेंस एपराइजल रिपोर्ट) लिखा जाएगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु उसे पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर उसके कार्य का मूल्यांकन हो सके।

(4). सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की संविदा नियुक्ति के दौरान उसे/उन्हें संविदा नियुक्ति के पद के कार्य के साथ–साथ अन्य पद का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा जा सकेगा, जिसे स्वीकार करना उसके/उनके लिए बाध्यकारी होगा।

11. आवेदक सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु दिनांक 01/04/2018 को 62 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु के प्रमाण स्वरूप हायर सेकेंडरी परीक्षा की अंकसूची की स्वयं सत्यापित छायाप्रति आवेदन के साथ अनिवार्यतः संलग्न की जायेगी।

12. जिस विश्वविद्यालय/शासकीय विभाग से कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है उस विश्वविद्यालय/शासकीय विभाग में कर्मचारी के नियुक्ति आदेश, सेवानिवृत्ति आदेश एवं पेंशन प्राधिकार पत्र (पी.पी.ओ.) की स्वयं सत्यापित छायाप्रति आवेदन के साथ अनिवार्यतः संलग्न की जायेगीा।

13. आवेदन के साथ कुलसचिव, म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के पक्ष में प्रोसेसिंग शुल्क हेतु देय रू. 500/– का डिमांड ड्राफट (डी.डी.) संलग्न करना अनिवार्यतः है अन्यथा स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

14. सेवानिवृत्त कर्मचारी के 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उसकी संविदा नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी।

15. संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 15 दिन तक प्रभावशील होगा। इस अवधि में यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया तो संविदा नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभावशूल्य हो जायेगा।

16. यदि संविदा अवधि में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के साथ कोई घटना/दुर्घटना घटित होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय अनुतोष देय नहीं होगा।

17. संविदा पर नियुक्त किये गये सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा रू. 100/– के स्टाम्प पेपर पर विश्वविद्यालय के साथ एक अनुबंध निष्पादित किया जायेगा। विज्ञापन की शर्तें अनुबंध का अनिवार्य हिस्सा होगीं। स्टाम्प पेपर क्रय हेतु व्यय संबंधित संविदा नियुक्त कर्मचारी द्वारा वहन किया जायेगा।
18. यह संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी एवं इसके आधार पर नियमितीकरण संबंध कोई मांग या दावा नहीं किया जा सकेगा।
19. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
20. कार्यालय में संविदा नियुक्ति की अवधि में अन्य किसी भी कार्यालय/संस्थान में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
21. संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी को कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलग्न होने पर ऐसी संविदा नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।
22. चयनित कर्मचारी उसके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संविदा में माना जाएगा। यदि संविदा पर नियुक्त कोई कर्मचारी बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

- <u>प्रतिनियुक्ति हेतु शर्तें</u>:–

1. प्रतिनियुक्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत विश्वविद्यालयों/शासकीय विभागों में कार्यरत् कर्मचारी आवेदन कर सकते है।
2. प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारूप पर अपने आवेदन के साथ अपने वर्तमान कार्यस्थल विश्वविद्यालय/शासकीय विभाग से निम्नांकित अभिलेख प्राप्त करके संलग्न करना अनिवार्य है:–

   (1). विश्वविद्यालय/शासकीय विभाग के विभाग प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

   (2). विगत् पांच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की कुलसचिव/शासकीय विभाग के विभाग प्रमुख द्वारा सत्यापित प्रति एवं अग्रेषण पत्र सहित कुलपति म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के नाम से मुहरबंद लिफाफा।

3. क्रमांक – 3 पर अंकित विवरण अनुसार अभिलेख प्राप्त नहीं होने पर आवेदन अमान्य माना जायेगा।
4. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत् कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर विश्वविद्यालय द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुए समय पूर्व सेवायें वापिस की जा सकेगी।
5. प्रतिनियुक्त कर्मचारियों पर म.प्र. शासन द्वारा समय–समय पर जारी अद्यतन नियम लागू होंगे।

कुलसचिव

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,

जबलपुर

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

प्रतिनियुक्ति एवं सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन

प्रति,

कुलपति,

म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,

जबलपुर म.प्र.।

आवेदक का
नवीनतम कलर
फोटोग्राफ
(3X4 सेंमी. साईज)

1. आवेदन का प्रकार (प्रतिनियुक्ति या संविदा):– ....
2. आवेदित पद का नाम :– ....
3. अ. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में): ....

ब. आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी में केपिटल अक्षरों में) : ....

2. लिंग (पुरूष / महिला) : ....

3. पिता / पति का नाम : ....

4. जन्म दिनांक (अ) अंकों में : .... (ब) शब्दों में ....
(जन्म दिनांक के सत्यापन हेतु हायर सेकंडरी परीक्षा की अंकसूची की स्वयं सत्यापति प्रति संलग्न करें।)

5. दिनांक 01 / 04 / 2018 को आयु: ....

6. श्रेणी 1. सामान्य ☐ 2. अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ 3. अनुसूचित जाति ☐ 4. अनुसूचित जनजाति ☐

(जिस श्रेणी में आते हैं उस पर ... का निशान अंकित करें) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करें।

7. (1). आवेदक का पत्र व्यवहार का पूर्ण पता:– ....
....
....
....

(2). आवेदक का स्थायी पता:– ....
....
....
....

8. आवेदक का दूरभाष क्रमांक :– (1) लेंडलाईन .... (2).मोबाईल ....

9. आवेदक का ई–मेल:– ....

10. संविदा नियुक्ति हेतु जानकारी (प्रतिनियुक्ति हेतु लागू नहीं):–

10.1– शैक्षणिक अर्हता (अंकसूची की स्वयं द्वारा सत्यापति छायाप्रति संलग्न करें) :–

क.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1.	हायर सेकंडरी स्कूल सर्टीफिकेट अथवा समकक्ष ...... (परीक्षा का नाम अंकित करें)					
2.	स्नातक .... (परीक्षा का नाम अंकित करें)					
3.	स्नातकोत्तर .... (परीक्षा का नाम अंकित करें)					
4.	अन्य					

10.2– पद का नाम जिससे आवेदक सेवानिवृत्त हुआ है : ....

10.3– विश्वविद्यालय / शासकीय विभाग का नाम जहां से आवेदक सेवानिवृत्त हुआ है :– ....

10.4– जिस विश्वविद्यालय / शासकीय विभाग से आवेदक सेवानिवृत्त हुआ है वहां पर नियुक्ति का पदनाम अंकित करें : – ....
(नियुक्ति आदेश की स्वयं सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

10.5– सेवानिवृत्ति दिनांक ....
(सेवानिवृत्ति आदेश की स्वयं सत्यापित छायाप्रति प्रति संलग्न करें):

10.6– सेवानिवृत्ति के समय आवेदक द्वारा धारित पद का वेतनमान एवं ग्रेड–पे (क्रमोन्नत ग्रेड–पे नहीं) : ....
(पेंशन प्राधिकार पत्र (पी.पी.ओ.) की स्वयं सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

10.7– सेवानिवृत्ति तक आवेदक को प्रदान की गई क्रमोन्नति का विवरण : ....
(1). प्रथम क्रमोन्नति का वेतनमान एवं ग्रेड–पे :–
(2). द्वितीय क्रमोन्नति का वेतनमान एवं ग्रेड–पे:–
(3). तृतीय क्रमोन्नति का वेतनमान एवं ग्रेड–पे:–

10.8– जमा किये गये प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण :– राशि रू. 500 / –
डी.डी. क्रमांक .... दिनांक ....जारीकर्ता बैंक का नाम एवं पता: ....

10.9– सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवाकाल में धारित पद एवं किये गये कार्यों / अनुभव का संपूर्ण विवरण :–

क्रं.	विश्वविद्यालय / शासकीय विभाग का नाम	धारित पद का नाम	अनुभव		संबंधित कार्य का विवरण (अतिरिक्त पृष्ठ पर हस्ताक्षरित जानकारी अंकित कर संलग्न कर सकते है)
			कब से – कब तक (दिनांक सहित)	कुल वर्ष	

10.10– क्या पूर्व के कार्यस्थल विश्वविद्यालय / शासकीय विभाग से परिशिष्ट–अ अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कुलसचिव / शासकीय विभाग के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित जानकारी एवं सेवानिवृत्ति के वर्ष से विगत पांच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की कुलसचिव / शासकीय विभाग के विभाग प्रमुख द्वारा सत्यापित प्रति एवं अग्रेषण पत्र सहित कुलपति म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के नाम से मुहरबंद लिफाफा आवेदन के साथ संलग्न किया गया है – .... हां / नहीं

11. प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदक की जानकारी (संविदा नियुक्ति हेतु लागू नहीं):–

11.1

क्रं.	विश्वविद्यालय/शासकीय विभाग का नाम एवं पता	वर्तमान धारित पद का नाम	धारित पद का वेतनमान एवं ग्रेड–पे (क्रमोन्नत ग्रेड–पे नहीं)	धारित पद पर कार्य का अनुभव (कुल वर्ष)	संबंधित कार्य का विवरण (अतिरिक्त पृष्ठ पर हस्ताक्षरित जानकारी अंकित कर संलग्न कर सकते है)

11.2– क्या विश्वविद्यालय/शासकीय विभाग के विभाग प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं विगत पांच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की कुलसचिव/शासकीय विभाग के विभाग प्रमुख द्वारा सत्यापित प्रति तथा अग्रेषण पत्र सहित कुलपति म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के नाम से मुहरबंद लिफाफा संलग्न किया गया है :– .... हां/नहीं

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम : ....

<u>घोषणा–पत्र</u>

मै यह घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति से संबंधित शर्तों का भली–भांति अध्ययन कर लिया गया है एवं मैं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन संविदा नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने हेतु सहमत हूं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है एवं मैं आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूं। जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नाम : ....

दिनांक :

नोटः– 1. आवेदन पत्र में चाहे गये समस्त अभिलेखों की स्वयं सत्यापित प्रतियां अनिवार्यतः संलग्न की जाये अन्यथा आवेदन निरस्त माना जायेगा।

परिशिष्ट–अ

<u>सेवानिवृत्त कर्मचारी के पूर्व कार्यस्थल विश्वविद्यालय / शासकीय विभाग हेतु आवश्यक निर्देश</u> कृपया सेवानिवृत्त कर्मचारी के संबंध में जानकारी की प्रविष्टि करके हस्ताक्षर सहित जावक उपरांत कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर म.प्र. का पता अंकित लिफाफे में मुहरबंद करके संबंधित कर्मचारी को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने हेतु प्रदान करें। जावक क्रमांक अकित किये बिना प्रेषित की गई जानकारी को अमान्य किया जायेगा।

<u>सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति हेतु जानकारी</u>

जावक क्रमांक .... दिनांक ....

1. आवेदक का नाम (श्री / कु. / श्रीमति) : ....
2. पिता / पति का नाम : ....
3. जन्म दिनांक : ....
4. दिनांक 01 / 04 / 2018 को आयु : ....
5. आवेदक की श्रेणी (सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग) : .... (श्रेणी अंकित करें)
6. पद का नाम जिस पर आवेदक नियुक्त हुआ थाः ....
7. पद का नाम जिससे आवेदक सेवानिवृत्त हुआ है : ....
8. विश्वविद्यालय / शासकीय विभाग का नाम जहां से आवेदक सेवानिवृत्त हुआ है : ....
9. सेवानिवृत्ति दिनांक : ....
10. सेवानिवृत्त के समय आवेदक द्वारा धारित पद का वेतनमान (ग्रेड पे सहित) : .... (पेंशन प्राधिकार पत्र (पी.पी.ओ.) की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
11. सेवानिवृत्ति तक आवेदक को प्रदान की गई क्रमोन्नति का विवरण
    (1). प्रथम क्रमोन्नति का वेतनमान एवं ग्रेड–पे :–
    (2). द्वितीय क्रमोन्नति का वेतनमान एवं ग्रेड–पेः–
    (3). तृतीय क्रमोन्नति का वेतनमान एवं ग्रेड–पेः–
12. आवेदक के सेवाकाल के अंतिम पांच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की विभाग प्रमुख द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न है अथवा नहीं :–

    ....हां / नहीं

13. यदि आवेदक को सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाया गया हो तो संबंधित आदेश की प्रति संलग्न करके विवरण अंकित करें अन्यथा निरंक अंकित करें :– ....
14. यदि आवेदक के विरूद्ध विभागीय जांच / अभियोजन लंबित है अथवा पिछले दस वर्षों के दौरान आवेदक को कोई दंड दिया गया हो तो संबंधित आदेश की प्रति संलग्न करके विवरण अंकित करें अन्यथा निरंक अंकित करें :– ....

15. यदि आवेदक की निष्ठा के बारे में उसके सेवाकाल के दौरान किसी भी समय कोई संदेह या आक्षेप किया गया हो और सामान्यतः ईमानदारी और दक्षता के बारे में उसकी ख्याति अच्छी नहीं रही हो तो संबंधित अभिलेख की प्रति संलग्न करके विवरण अंकित करें अन्यथा निरंक अंकित करें :– ....
....
....

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त जानकारी कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर तैयार की गई है, जो कि पूर्णतः सत्य है।

दिनांक :

....
विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
नामः

सील :